रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012026-269096
CG-DL-E-03012026-269096

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 2, 2026/पौष 12, 1947
No. 04] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 2, 2026/PAUSHA 12, 1947

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौधोगिकी मंत्रालय

(राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 4(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में अनुभाग अधिकारी, निजी सचिव, सहायक अनुभाग अधिकारी, वैयक्तिक सहायक और सुरक्षा पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती की *पद्धति* को विनियमीत करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (समूह 'ख' गैर-वैज्ञानिक और तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**.- ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होगें।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स का स्तर**.- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की *पद्धति*, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**.- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **आरंभिक गठन**.- इन नियमों के प्रारंभ की तारीख पर नियमित आधार पर उक्त पदों को धारण करने वाले पदधारी इन नियमों के अधीन नियुक्त किए गए समझे जाएंगे और उक्त नियमों के प्रारंभ से पूर्व नियमित आधार पर उक्त पदों मे उनके द्वारा की गई सेवा अगली उच्चतर श्रेणी, आदि की प्रोन्नति के लिए परिवीक्षा, वरिष्ठता और पात्रता की अवधि के विनिश्चय के लिए गणना की जाएगी ।

6. **भारत के किसी भाग मे सेवा के लिए दायित्व**.- इन नियमों के अधीन उक्त पदों पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति भारत मे किसी भी स्थान पर सेवा के लिए दायी होगा ।

7. **निरर्हता**.- वह व्यक्ति,-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

8. **शिथिल करने की शक्ति**.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

9. **व्यावृत्ति**.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. अनुभाग अधिकारी	*49 (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित अनुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स मे स्तर-8 (47,600-151100 रु.)।	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रोन्नति द्वारा 60 प्रतिशत; और (ii) सीमित विभागिए प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 40 प्रतिशत।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियाँ में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.) में ऐसे सहायक अनुभाग अधिकारी, जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा समय-समय पर संगठन द्वारा यथाविहित सुसंगत क्षेत्र मे दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा :** सीमित विभागिय प्रतियोगिता परीक्षा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, अनुभाग अधिकारी, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार आयोजित की जाएगी।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)**:- 1. कार्मिक समूह का प्रमुख, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र – अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र – सदस्य; 3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से भिन्न मंत्रालय या विभाग या संगठन से भारत सरकार का उप सचिव या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी -सदस्य।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. निजी सचिव	*9 (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-8 (47600-151100 रु.)।	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) प्रोन्नति द्वारा 60 प्रतिशत; और (ii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 40 प्रतिशत।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44900-142400 रु.) मे ऐसे वैयक्तिक सहायक, जिन्होंने उस श्रेणी मे छह वर्ष नियमित सेवा की हो तथा समय-समय पर संगठन द्वारा यथाविहित सुसंगत् क्षेत्र मे दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा :** सीमित विभागिय प्रतियोगिता परीक्षा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, निजी सचिव, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार आयोजित की जाएगी।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)**:- 1. कार्मिक समूह का प्रमुख, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र – अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र – सदस्य; 3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से भिन्न मंत्रालय या विभाग या संगठन से भारत सरकार का उप सचिव या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी -सदस्य।	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सहायक अनुभाग अधिकारी	*61 (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)।	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनिए।)	**आवश्यक अर्हताएं:** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर की डिग्री। **वांछनिय:** कंप्युटर प्रचालन का ज्ञान। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा मे	लागू नहीं होता।	दो वर्ष। **टिप्पण:** केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का कुशल प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना आज्ञापक होगा।	(i) प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत; (ii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 40 प्रतिशत; और (iii) सीधी भर्ती द्वारा 10 प्रतिशत।

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने की परीक्षा की अंतिम तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा मे तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।			

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) में ऐसे वरिष्ठ सचिवालय सहायक, जिन्होंने उस श्रेणी मे दस वर्ष नियमित सेवा की हो तथा समय-समय पर संगठन द्वारा यथाविहित सुसंगत् क्षेत्र मे दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा :** सीमित विभागिय प्रतियोगिता परीक्षा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, सहायक अनुभाग अधिकारी, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार आयोजित की जाएगी।	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)**:- 1. कार्मिक समूह का प्रमुख, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र – अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र – सदस्य; 3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से भिन्न मंत्रालय या विभाग या संगठन से भारत सरकार का उप सचिव या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी -सदस्य। **समूह 'ख' विभागीय पुष्टी समिति (पुष्टी पर विचार करने के लिए)**:- 1. कार्मिक समूह का प्रमुख, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र – अध्यक्ष;	लागू नहीं होता

	2. संयुक्त निदेशक या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र – सदस्य; 3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से भिन्न मंत्रालय या विभाग या संगठन से भारत सरकार का उप सचिव या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी -सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. निजी सहायक	*28 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-7 (44900-142400 रु.)।	चयन।

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	(i) प्रोन्नति द्वारा 75 प्रतिशत; और (ii) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 25 प्रतिशत।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100 रु.) मे आशुलिपिक ग्रैड-3, जिन्होंने उस श्रेणी मे दस वर्ष नियमित सेवा की हो तथा समय-समय पर संगठन द्वारा यथाविहित सुसंगत् क्षेत्र मे दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **टिप्पण:** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब की उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा :** सीमित विभागिय प्रतियोगिता परीक्षा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, वैयक्तिक सहायक, सीमित विभागीय	**समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए)**:- 1. कार्मिक समूह का प्रमुख, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र – अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र – सदस्य; 3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से भिन्न मंत्रालय या विभाग या संगठन से भारत सरकार का उप सचिव या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी -सदस्य।	लागू नहीं होता।

प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2026 के उपबंधों के अनुसार आयोजित की जाएगी।	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टी समिति** **(पुष्टी पर विचार करने के लिए)**:- 1. कार्मिक समूह का प्रमुख, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र – अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र – सदस्य; 3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से भिन्न मंत्रालय या विभाग या संगठन से भारत सरकार का उप सचिव या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी -सदस्य।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. सुरक्षा पर्यवेक्षक	*02 (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (35400-112400 रु.)।	लागू नहीं होता।

(6)	(7)	(8)
30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए पाँच वर्ष तक शिथिलनिए ।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत मे अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ना की वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा/ जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप, लद्दाख, या लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।	**आवश्यक अर्हताएं :** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैच्लर डिग्री। (ii) किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थान मे पर्यवेक्षण सुरक्षा या अग्निशमन कार्य मे तीन वर्ष का अनुभव। **वांछनिय:** किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्था से सुरक्षा या अग्निशमन उपस्कर के रखरखाव में डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र। **टिप्पण 1:** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2:** अनुभव संबधी अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा मे तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के	लागू नहीं होता।

	अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या मे उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।	

(9)	(10)
दो वर्ष। **टिप्पण** : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का कुशल प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना आज्ञापक होगा।	सीधी भर्ती द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा। भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन

(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या (ii) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (29200-92300/- रु.) या समतुल्य में उस पद में छह वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/- रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् दस वर्ष की सेवा की है; और (ख) जिनके पास शैक्षिक अर्हता और अनुभव कॉलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित है। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3—**प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए पदधारी के मामले मे आमेलन के लिए विचार किया जाता है, उसमें स्तर 5 वेतन मैट्रिक्स (29,200-92,300) मे छह वर्ष नियमित सेवा की हो और आमेलन की तारीख पर स्तर 4 वेतन मैट्रिख (25,500-81,100) मे दस वर्ष नियमित सेवा की हो ।	**समूह 'ख' विभागीय पुष्टी समिति** **(पुष्टी पर विचार करने के लिए)**:- 1. कार्मिक समूह का प्रमुख, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र – अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र – सदस्य; 3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से भिन्न मंत्रालय या विभाग या संगठन से भारत सरकार का उप सचिव या समतुल्य पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी -सदस्य।	लागू नहीं होता

<u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए: प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन</u> सशस्त्र बाल के ऐसे कार्मिकों के सबंध मे भी विचार किया जायगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवनिवृत होने वाले हैं या रिजर्व मे स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताए हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनयुक्ति के निबंधनों पर रखा जायगा जिस तारीख से उन्हे सशस्त्र बाल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात उन्हे पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।		

[फा. सं. 3(02)/2020-कार्मि.]

डॉ. राजेश कुमार पाठक, उपमहानिदेशक (कार्मिक)

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(National Informatics Centre)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd January, 2026

G.S.R. 4(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Section Officer, Private Secretary, Assistant Section Officer, Personal Assistant and Security Supervisor in the National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-

1. **Short title and commencement.–** (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, National Informatics Centre (Group 'B' Non-Scientific and Technical Posts), Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**– These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.–** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.–** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Initial constitution.–** The incumbents holding the aforesaid posts on regular basis on the date of commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and the services rendered by them in the said posts on regular basis before the commencement of the said rules shall be taken into account for deciding their period of probation, seniority and eligibility for promotion to the next higher grade, etc.

6. **Liability for service in any part of India.**– Any person, appointed to the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India.

7. **Disqualification.**– No person,–

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

8. **Power to relax.–** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

9. **Saving.**– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for persons belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other backward classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

Schedule

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Section Officer.	*49 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Selection.

Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Not applicable.	(i) sixty per cent. by promotion; and (ii) forty per cent. through Limited Departmental Competitive Examination.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: Assistant Section Officer in level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with six years regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant area as prescribed by the organisation from time to time. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:–** 1. Head of Personnel Group, National Informatics Centre -Chairman; 2. Officer not less than the rank of Joint Director or equivalent, National Informatics Centre -Member; 3. Officer not less than the rank of Deputy Secretary to the Government of India or equivalent from a Ministry or Department or Organisation other than National Informatics Centre -Member.	Not applicable.

grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Limited Departmental Competitive Examination:** The Limited Departmental Competitive Examination shall be conducted in accordance with the provisions of the National Informatics Centre, Section Officer, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2026.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Private Secretary.	*9 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Ministerial.	Level-8 in the pay matrix (Rs. 47600-151100).	Selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)
Not applicable.	(i) sixty per cent. by promotion; and (ii) forty per cent. through Limited Departmental Competitive Examination.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Personal Assistant in Level-7 in the pay matrix (Rs.44900-142400) with six years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant area as prescribed by the organisation from time to time. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Limited Departmental Competitive Examination:** The Limited Departmental Competitive Examination shall be conducted in accordance with the provisions of the National Informatics Centre, Private Secretary, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2026.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:–** 1. Head of Personnel Group, National Informatics Centre -Chairman; 2. Officer not less than the rank of Joint Director or equivalent, National Informatics Centre -Member; 3. Officer not less than the rank of Deputy Secretary to the Govt. of India or equivalent from a Ministry or Department or Organisation other than National Informatics Centre -Member.	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Assistant Section Officer.	*61 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non–Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix of Rs. 44900-142400.	Selection.

(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for the Government servant upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note**: The crucial date of examination for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential qualifications:** Bachelor's Degree from a recognised University or institutes. **Desirable:** Knowledge of computer operation. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified. **Note 2**: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.

(9)	(10)
Two years. **Note:** There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government for direct recruits.	(i) fifty per cent. by promotion; (ii) forty per cent. through Limited Department Competitive Examination; and (iii) ten per cent. by direct recruitment.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Secretariat Assistant in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with ten years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant area as prescribed by the organisation from time to time. **Note :** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:–** 1. Head of Personnel Group, National Informatics Centre -Chairman; 2. Officer not less than the rank of Joint Director or equivalent, National Informatics Centre. -Member; 3. Officer not less than the rank of Deputy Secretary to the Government of India or equivalent from the Ministry or Department or Organisation other than National Informatics Centre - Member.	Not applicable.

already completed such qualifying or eligibility service. **Limited Departmental Competitive Examination:** The Limited Departmental Competitive Examination shall be conducted in accordance with the provisions of the National Informatics Centre, Assistant Section Officer, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2026.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:–** 1. Head of Personnel Group, National Informatics Centre -Chairman; 2. Officer not less than the rank of Joint Director or equivalent, National Informatics Centre. -Member; 3. Officer not less than the rank of Deputy Secretary to the Government of India or equivalent from the Ministry or Department or Organisation other than National Informatics Centre -Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4. Personal Assistant.	*28 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400).	Selection.

(6)	(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(9)	(10)
Two years.	(i) seventy-five per cent. by promotion; and (ii) twenty-five per cent. through Limited Departmental Competitive Examination.

(11)	(12)	(13)
Promotion: Stenographer Grade-III in level-4 in the pay matrix (Rs.25500-81100) with ten years of regular service in the grade and having successfully completed two weeks training in relevant area as prescribed by the organisation from time to time. **Note** : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Limited Departmental Competitive Examination:** The Limited Departmental Competitive Examination shall be conducted in accordance	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:–** 1. Head of Personnel Group, National Informatics Centre -Chairman; 2. Officer not less than the rank of Joint Director or equivalent, National Informatics Centre. -Member; 3. Officer not less than the rank of Deputy Secretary to the Government of India or equivalent from the Ministry or Department or Organisation other than National Informatics Centre -Member.	Not applicable.

with the provisions of the National Informatics Centre, Personal Assistant, Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2026.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmations) consisting of:** 1. Head of Personnel Group, National Informatics Centre -Chairman; 2. Officer not less than the rank of Joint Director or equivalent, National Informatics Centre. -Member; 3. Officer not less than the rank of Deputy Secretary to the Government of India or equivalent from the Ministry or Department or Organisation other than National Informatics Centre -Member.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Security Supervisor.	*02 (2024) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400).	Not applicable.

(6)	(7)	(8)
Not exceeding thirty years of age. (Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates and not the closing date prescribed for those residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territories of Andaman and Nicobar Islands, Ladakh and Lakshadweep.	**Essential qualification:** (i) Bachelor's Degree from a recognised University or institute; and (ii) three years of experience of supervising security or fire fighting work in the Government or recognised organisation. **Desirable:** Degree or Diploma or Certificate in maintenance of security or fire fighting equipments from the Government or recognised institutes. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in the case of candidate otherwise well qualified. **Note 2**: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.

(9)	(10)
Two years. Note: There shall be mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	By direct recruitment failing which by deputation/absorption. For Ex-servicemen: Deputation or re-employment.

(11)	(12)	(13)
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or Union territory Administrations,– (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with ten years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 7. **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or in some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. **Note 3:** In case the incumbent appointed on deputation is considered for absorption, he or she should have completed six years of regular service in level-5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300) and ten years of regular service in level-4 in the pay matrix (Rs. 25500-81100) on the date of absorption. **Deputation or re-employment for Armed Forces Personnel:** The Armed Forces Personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the qualifications and experience prescribed for deputationists shall also be considered. If selected, such officers shall be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment terms.	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:** 1. Head of Personnel Group, National Informatics Centre -Chairman; 2. Officer not less than the rank of Joint Director or equivalent, National Informatics Centre. -Member; 3. Officer not less than the rank of Deputy Secretary to the Government of India or equivalent from the Ministry or Department or Organisation other than National Informatics Centre -Member.	Not applicable.

[F. No. 3(02)/2020-Pers.]

Dr. RAJESH KUMAR PATHAK, Dy. Director General (Personnel)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.01.03 17:37:08 +05'30'